

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक एफ 1(1)(91)/निमअ/स्था/2015/ 6976


जयपुर, दिनांक 13/03/2018

आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 की शर्तों एवं दरों पर दिनांक 28.02.2019 तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए संविदा पुनर्नियुक्ति पर लेने की सहमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
मुख्यालय स्तर पर				
1.	उपनिदेशक	5	2	
2.	अतिरिक्त परियोजना समन्वयक	1	1	
3.	लेखाधिकारी	2	1	
4.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	1	1	
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	
6.	सहायक निदेशक	8	1	
7.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	
8.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	
9.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	2	
10.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	6	
11.	निजी सहायक	3	1	
12.	शीघ्रलिपिक	5	2	
13.	कार्यक्रम सहायक	2	2	
14.	सूचना सहायक	5	1	MWM की सेवाएँ एजेंसी के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार हायर किये जाने की सहमति
15.	कनिष्ठ सहायक	13	11	
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	24	11	
जिला स्तर पर				
1.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय	32	14	वांरा, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, धौलपुर, टोंक वांसवाड़ा, झुन्झुनू, करौली के लिए
2.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	प्रतापगढ़ के लिए
3.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	7	7	जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर के लिए
4.	सूचना सहायक (MWM की सेवाएँ एजेंसी के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार हायर किये जाने की सहमति)	33	09	भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, जैसलमेर, स. माधोपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भरतपुर के लिए चुरू एवं बीकानेर को विभाग के आदेश दिनांक 18.01.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की हुई है।
5.	वरिष्ठ सहायक	26	23	जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, वांसवाड़ा, दौसा को छोड़कर शेष सभी जिलों के लिए
6.	कनिष्ठ सहायक	33	16	वांरा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर एवं अलवर के लिए
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	33	08	भीलवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, पाली, श्री गंगानगर, के लिए

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 161800269 दिनांक 28.02.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।


(शुचि शर्मा)

आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 1(1)(91)/निमअ/स्था/2015/

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. लेखाधिकारी, भुगतान महिला अधिकारिता, जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता,
7. एनलिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), महिला अधिकारिता को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता